[illegible]

श्रीमती [illegible] पत्नि [illegible] जाति गुर्जर निवासी पाटौली
तहसील महवा जिला दौसा .... सायला

बनाम

1. मानसिंह पुत्र रामकरण
2. श्रीमती सुशीला पत्नि मानसिंह
3. श्रीमती लक्ष्मण पत्नि स्व. रामकरण

} जाति गुर्जर निवासी पाटौली तहसील महवा जिला दौसा

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 30–08–2019

सायला के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पाटौली तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 898 रकबा 0.13 हैक्टयर सायला के कब्जा काश्त व खातेदारी की आरजी है जिसमें वर्तमान में सायला की बाजरा की काश्त खडी है। सायला की आराजी के सटवा खसरा नम्बर 657 रकबा 11 विस्वा में से तीन व्यक्तियों को 500–500 वर्ग गज भूमि का आवंटन कर दिया गया जिसमें गैरसायलान के पिता रामकरण को भी आवंटन हुआ है। सायला की खातेदारी की आराजी से गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सायला दिनांक 12–8–19 को अपनी आराजी की देखभाल करने गयी तो गैरसायलान सायला की आराजी में गढढा खोद कर पाईप लाईन डालने की तैयारी कर रहे थे। सायला ने गैरसायलान से मना कियातो नाराज हो गये तथा एलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारी जमीन में होकर पाईप लाईन निकालने तथा पिट वगैरा का निर्माण करेगे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

यदि गैरसायलान अपनी धमकी में सफल हो गये तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में है। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

गैरसायलान की ओरसे जबाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि सायला की आराजी खसरा नम्बर 898 के सटवा खसरा नम्बर 657 सिवाय चक भूमि नहीं होकर किशनलाल की खातेदारी की भूमि है जिस पर किशनलाल का ही कब्जा काश्त है। सायला की भूमि में पाईप गाढने वाली बात गलत है। गैरसायलान ने सायला को कभी कोई धमकी नहीं दी बल्कि सायला ही गैरसायलान को हैरान व परेशान करना चाहती है। सायला का प्रार्थना पत्र तथ्यों के विपरीत होने व आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पाटौली तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 898 रकबा 013 हैक्टयर रूपन्ता पत्नि बनैसिंह जाति गुर्जर निवासी पाटौली की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान का सायला की खातेदारी की आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध होना नहीं पाया जाता है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि सायला वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार तथा सायला का कब्जा है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायला के पक्ष में प्रमाणित होता है।

सायला वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। यदि गैरसायलान द्वारा सायला की खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो सायला को ही अपूर्तनीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने से उनको कोई क्षति होना नहीं पाया जाता है। यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे सायला के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न कर सकते है।

जैसाकि हम विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि सायला वादग्रस्त भूमि की खातेदार है तथा कब्जा में है। यदि गैरसायलान द्वारा उनके कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो सायला को ही असुविधा होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा गैरसायलान के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम पाटौली तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 898 रकबा 013 हैक्टयर में सायला के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 30–08–2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)